

**Government of Rajasthan**  
**Urban Development and Housing Department**

No. F. 3(300)UD/3/95

Jaipur, Date :- 24 August, 2007

**Circular**



In compliance to the "POLICY TO PROMOTE PRIVATE INVESTMENT IN HEALTH CARE FACILITIES- 2006 " and in exercise of the powers conferred by Rule 15 and Rule 31 of The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974, Rule 32 of The Rajasthan Municipalities (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 and Section 60 of the Rajasthan Housing Board Act 1970 and looking to the need to promote private sector investment in Health Sector in order to facilitate establishing of quality health care institutions within the frame work of set standards and norms, the State Government is hereby pleased to declare certain concessionary rates for allotment of land and certain exemptions in conversion charges as per details given below. The allotment of land to health care institutions, registered firms, societies or trusts shall be done by concerned department/agency i.e. JDA/UITs/Urban Local Bodies/Rajasthan Housing Board as per their Land Disposal Rules on the recommendation of State Medical Planning and Resource Committee and Medical Education Department of the Government of Rajasthan based on

25/8

- (i) Requirements of space in relation to proposed bed strength in view of the prescribed standards.
- (ii) Floor Area Ratio.
- (iii) Building bye-laws.
- (iv) Land availability in the desired location.

**Eligibility for concessionary rates in land allotment and exemption in conversion charges :-**

The Concessionary rates in land allotment and exemption in conversion charges would be applicable for institutions complying with following :-

- (a) Manage the Hospital waste in accordance to Bio-Medical waste (Management & Handling) Rules, 1998 under Environment Protection Act of 1986.



- (b) Comply with the minimum standards laid down by the State Committee on Standards.
- (c) Reserve 10% beds for Below Poverty Line (BPL) patients and charge only 25% of the charges incurred on drugs and diagnostics from BPL patients. Separate register with full details of such patients shall be maintained.

Land allotment and exemption in conversion charges:-

**Land Allotment :-**

Land will be allotted following the recommendations of State Medical Planning and Resource Committee and approval of the Government by the concerned Department/Agency (JDA/RHB/UIT/LSG/ULBs) keeping in view the following broad guidelines-

- (i) Land shall be allotted, subject to availability in the desired location, only to new institutions investing a minimum of Rs. 10 crores in a Health Care Facility (Rs. 5 cr. in case of Nursing and Para Medical Institutions and Rs. 50 Lac in case of 15 bed hospitals/nursing homes situated in towns/villages with the population of less than 50 thousand and which are situated at least 50 km away from the divisional headquarters and 20 Km. away from district headquarters).
- (ii) The existing Health Care Institutions shall not be eligible for land allotment under the policy.
- (iii) The allotted land shall exclusively be used for the purpose for which it stands allotted; else it shall be acquired by the Government, without any compensation besides black listing the individual/society/Trust/Firm and imposing a penalty as per existing rules/byelaws of Land Disposal Rules of various local bodies/circulars/orders as the case may be.
- (iv) The land shall be allotted on a 99 years lease.
- (v) The project for which land will be allotted shall, ordinarily, be completed in a period of 3 years from the date of allotment, else the allotted land shall revert to Government and any structure developed on it shall become property of State Government. without giving any right to investor to appeal or to be compensated.
- (vi) Those who have been allotted land on concessional price, shall have to keep 10% of beds reserved for BPL patients who shall be treated free and shall pay only 25% of the charges incurred on Drugs and Diagnostics. Those establishing diagnostic centers/other services will charge only 25% of fee from BPL patients.



(vii) The order of priority for land allotment for different categories of Hospitals shall be as under -

1. Multi Super Specialty Hospitals.
2. Single Super Specialty Hospitals.
3. Medical Colleges with Teaching Hospitals.
4. Dental Colleges with General and Dental Hospitals.
5. General Hospitals.
6. Support units like State of Art Diagnostic Centers/Blood Banks/Nursing and Paramedical Training Institutes.

The land allotment rate for different categories of investment and area shall be as follows.

Amount of Investment	Allotment rate (% of reserve Price)
1. For Jaipur Distt.	
(a) More than Rs. 10 crore but less than Rs. 25 crore	100%
(b) More than Rs. 25 crore but less than Rs 50 crore	60%
(c) More than Rs. 50 crore	40%
2. For All Divisional Head Quarters Disstts.	
(a) More than Rs. 10 crore but less than Rs. 25 crore	70%
(b) More than Rs. 25 crore but less than Rs. 50 crore	50%
(c) More than Rs. 50 crore	35%
3. For all General Distts. (other than those indicated at 4 below)	
(a) More than Rs. 10 crore but less than Rs. 25 crore	65%

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| (b) | More than Rs. 25 crore<br>but less than Rs. 50 crore   | 45% |
| (c) | More than Rs. 50 crore   | 30% |
| 4.  | <b>For Desert/Tribal districts of Jaisalmer, Barmer, Chittorgarh,<br/>Banswara, Dungarpur, Jhalawat, Baran, Jalore and Sirohi.</b> |     |
| (a) | More than Rs. 10 crore<br>but less than Rs 25 crore  | 55% |
| (b) | More than Rs. 25 crore<br>but less than Rs. 50 crore   | 35% |
| (c) | More than Rs. 50 crore   | 25% |
| 5.  | <b><u>For 15 bed Hospitals/ Nursing Homes</u></b>  | 70% |

Investing minimum of Rs. 50 lacs in towns/village having a population of less than 50,000 and situated at least 50 kms away from the divisional headquarters and 20 kms from the district headquarters.

**For places of tourist importance**

The land allotment rate for all designated places of tourist importance in the State shall attract an additional concession of 5%. However, this concession shall be available at places which are not State/Divisional/District Head Quarters & the concession shall be available only in case of places figuring in the list to be maintained by Tourism Department for this purpose.

**Special concession for NRI investors and National Level Corporate Health Care Entity**

With regard to the land allotment price in case of National Level Corporate Health Care Entity and NRI investors, a committee of the following officers can grant extra concession up to 10% of reserve price in each category subject to the condition that the reduced reserve price shall not be less than 50% of the reserve price in case of Jaipur and other Divisional Headquarters and 25% in case of other places :-

- |       |                                     |                  |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| (i)   | Principal Secretary, UDH            | Chairman         |
| (ii)  | Chairperson, BIP                    | Member           |
| (iii) | Secretary, Medical Education        | Member Secretary |
| (iv)  | Collector of concerned district     | Member           |
|       | (If revenue land is to be allotted) |                  |
| (v)   | Deputy Secretary Finance (GF & AR)  | Member           |


Exemption in conversion charges

- (a) Exemption from electricity duty on captive generation as laid down in clause 8 (iii) of Rajasthan Investment Promotion Policy (RIPS) 2003 for a period of 7 years.
- (b) 50% exemption shall be granted in Stamp duty as per provision laid down in clause 8 (iv) of RIPS 2003.
- (c) Under the policy, the eligible investors, in private health sector setting up health care facility in Rajasthan, shall be entitled for 50% exemption in conversion charges ( as per clause 8 (v) of RIPS 2003).

  
(Parvinder Singh)  
Principal Secretary

Copy to following for information & necessary action :-

1. PS to Minister, UDH.
2. PS to Principal Secretary, Urban Governance.
3. Secretary LSG, Jaipur.
4. Secretary, Medical Education Department.
5. Commissioner, Jaipur Development Authority
6. Commissioner, Rajasthan Housing Board
7. Director, Local Bodies, Jaipur
8. Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur
9. Deputy Secretary-I & II, UDH
10. All Secretary, UITs, Rajasthan
11. Guard File.

  
24/8/07  
Deputy Secretary-I

**राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022**

(प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित)

नोट:- प्रवर समिति द्वारा लोपित समस्त सामग्री वर्गाकार कोष्ठकों में दर्शायी गयी है और अन्तःस्थापित नई सामग्री रेखांकित की गई है।

स्वास्थ्य के अधिकार का उपबंध करने के लिए और उससे प्रासंगिक, सहायक तथा आनुषंगिक उपबंध करने के लिए विधेयक।

यतः, राजस्थान राज्य का लक्ष्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों और उनमें साम्या के संरक्षण और उनकी पूर्ति करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना और राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच या उसे प्राप्त करने में स्वयं की ओर से व्यय में उत्तरोत्तर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक निःशुल्क पहुंच और उसमें समानता का उपबंध करना भी है;

और यतः, लोक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल राज्य में उन्नत लोक स्वास्थ्य के युग का प्रारंभ कर सकेगा;

और यतः, राजस्थान राज्य का प्रत्येक निवासी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य की स्थिति, जो गरिमामय जीवन जीने में सहायक है, के उच्चतम साध्य स्तर को प्राप्त करने का हकदार है;

और यतः, स्वास्थ्य का अधिकार न केवल समय पर स्वास्थ्य परिचर्या तक ही विस्तारित है, अपितु इसमें सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी मूलभूत अधिकार भी सम्मिलित हैं;

और यतः, राज्य में स्वास्थ्य परिचर्या के मामले में असाम्यापूर्ण पहुंच और इंकार के प्रति कार्यवाही करना;

और यतः, राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार प्राप्त हों। जनता स्वयं ही स्वास्थ्य के अधिकार की पूर्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हितधारी है। इसलिए, लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार की प्राप्ति के लिए लोगों की भागीदारी निर्णायक और महत्वपूर्ण है;

और यतः, लोक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए शक्तियों को सम्मिलित करते हुए उपलब्धता, पहुंच, ग्राह्यता, साम्या और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत विधिक संरचना स्थापित करने की आवश्यकता है।

अतः, भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "दुर्घटना जनित आपात स्थिति" से किसी घटना का अकल्पित, अप्रत्याशित या अनजाने में होना अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट लगने का जोखिम हो और इसमें सड़क, रेल, जलीय या वायु दुर्घटना सम्मिलित हैं;

- (ख) "जैव आतंकवाद" से अभिप्रेत है कोई सूक्ष्म जीव, विषाणु, संक्रामक पदार्थ (विषैले तत्व को सम्मिलित करते हुए) या जैविक उत्पाद जिन्हें किसी मानव, पशु, पौधे या किसी दूसरे सजीव जीव की मृत्यु, उसमें किसी रोग या अन्य जैविक खराबी पैदा करने के लिए ऐसे सूक्ष्म जीव, विषाणु, संक्रामक पदार्थ या जैविक उत्पाद जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी, या किसी प्राकृतिक या जैव अभियांत्रिकी घटक के परिणामस्वरूप बनाया जाये;
- (ग) "नैदानिक स्थापन" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन नैदानिक स्थापन के रूप में परिभाषित कोई स्थापन अभिप्रेत है;
- (घ) "अभिहित स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र" से नियमों में यथा विहित स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "आपात स्थिति" से दुर्घटना जनित आपात स्थिति, सर्प दंश/जानवर के काटने के कारण आपात स्थिति और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की गयी कोई अन्य आपात स्थिति अभिप्रेत है;
- (च) "आपात स्थिति परिचर्या" से किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायल किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार, सलाह या सहायता देने के लिए युक्तियुक्त अध्युपाय अभिप्रेत हैं;
- (छ) "आपात प्रसूति परिचर्या" से गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताओं से ग्रस्त किसी महिला का उपचार करना (और उसके जीवन को बचाना) अभिप्रेत है;



- (ज) "महामारी" से किसी दी गयी समायावधि के लिए सामान्यतः संभावित से अधिक मात्रा में रोग के मामलों का होना अभिप्रेत है और उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित के सिवाय भी "रोग के प्रकोप" के प्रति कोई संदर्भ सम्मिलित है;
- (झ) "प्राथमिक उपचार" से किसी दुर्घटना या क्रैश या आपराधिक घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को, किसी निर्णायक उपचार से पूर्व किसी चिकित्सा व्यवसायी सहित किसी व्यक्ति द्वारा उसकी स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिए दी गयी बुनियादी परिचर्या अभिप्रेत है;
- (ञ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) "सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य परिचर्या सेवा" से सरकार द्वारा वित्त पोषित और उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं या जो गैर-सरकारी इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं अभिप्रेत हैं, किन्तु जिनके लिए सरकार कुछ या समस्त रोगियों के लिए परिचर्या के खर्च का भागतः या पूर्णतः वित्तपोषण करती है;
- (ठ) "स्वास्थ्य परिचर्या" से चिकित्सा की किसी भी पद्धति में, जनन स्वास्थ्य परिचर्या और आपातकालीन चिकित्सा उपचार को सम्मिलित करते हुए, निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, निदानकारी, नर्सिंग, पुनर्वास, प्रशामक, स्वास्थ्य लाभ, अनुसंधान और/या अन्य स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोजन या उनके संयोजन के प्रति जांच, उपचार, परिचर्या, प्रक्रियाएं, और ऐसी कोई अन्य सेवा या उपचार अभिप्रेत है और चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम में भागीदारी के परिणामस्वरूप इनमें से कोई भी सम्मिलित है;

- (ड) "स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन" से कोई संपूर्ण लोक या प्राइवेट संस्था, सुविधा, भवन या स्थान या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, चाहे लाभ के लिए हो या नहीं, जो अंतरंग रोगी और/या बाह्य रोगी को स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए संचालित किया जाता है, और किसी "लोक स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन" को तदनुसार सरकार [या प्राइवेट स्वामित्व] द्वारा स्थापित, चलाये जा रहे, वित्तपोषित या नियंत्रित स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन के रूप में निर्देशित किया जायेगा;
- (ढ) "स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता" से आयुर्विज्ञान चिकित्सक, नर्स, अन्य परा चिकित्सा वृत्तिक [सामाजिक कार्यकर्ता] या विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या, नर्सिंग, पुनर्वास, प्रशामक, स्वास्थ्य लाभ, निवारक या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से सुसंगत विनिर्दिष्ट दक्षता और लाईसेंस या प्रमाण पत्र धारक समुचित रूप से प्रशिक्षित और अर्हित अन्य कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो "सेवा प्रदाता" के प्रति निर्देश का वही अर्थ होगा;
- [(ण) "स्वास्थ्य प्रभाव निर्धारण" से स्वास्थ्य के संबंध में उस पर विनिश्चय करने और उसके अधीन प्रतिबद्ध होने से पूर्व आबादी के स्वास्थ्य पर, और अन्य सुसंगत प्रभावों तथा आबादी के भीतर ऐसे प्रभावों के फैलाव पर प्रस्तावित विधि, नीति, कार्यक्रम, परियोजना, प्रौद्योगिकी या किसी संभावित हानिकारक गतिविधि की पहचान करने, उसका पूर्वानुमान करने, मूल्यांकन करने और उसके संभावित प्रभावों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों और साधनों का संयोजन अभिप्रेत है और अन्य किसी स्वास्थ्य प्रभाव निर्धारण के प्रति निर्देश का वही अर्थ होगा;]

- [झ] (ण) "सूचित सहमति" से किसी बल, असम्यक् प्रभाव, कपट, धमकी, भूल या दुर्व्यपदेशन के बिना किसी प्रस्तावित स्वास्थ्य परिचर्या के लिए विशिष्टतया दी गयी, और सहमति देने वाले व्यक्ति को, या तो उसको स्वयं को, या प्रतिनिधिक हैसियत से, जहां कहीं भी यह आवश्यक हो, ऐसी भाषा में और रीति से जो ऐसा व्यक्ति समझता हो, उस प्रस्तावित स्वास्थ्य परिचर्या के खर्चों, जोखिमों, फायदों और अन्य महत्वपूर्ण विवक्षाओं और उनके विकल्पों सहित समस्त महत्वपूर्ण सूचना प्रकट कर दिये जाने के पश्चात् अभिप्राप्त, सहमति अभिप्रेत है;
- [ञ] (त) "प्रकोप" से कोई महामारी अभिप्रेत है जो किसी रोग के मामलों में स्थानीय क्षेत्र में बढ़ोतरी तक सीमित है;
- [ट] (थ) "पंचायती राज संस्था" से ग्राम, खण्ड या जिला स्तर पर, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् या जिसे चाहे अन्य किसी भी नाम से जाना जाये, राज्य की किन्हीं पंचायती राज विधियों में से किसी के अधीन स्थापित स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं अभिप्रेत हैं और "पं.रा.सं." के प्रति किसी भी संदर्भ का वही अर्थ होगा;
- [ठ] (द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- [ड] (ध) "लोक स्वास्थ्य" से जनता का पूर्णरूपेण स्वास्थ्य, विशिष्टतया जो सरकार द्वारा मॉनीटर, विनियमित और प्रोन्नत हो, अभिप्रेत है;
- [(न) "तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा" से चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदत्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं अभिप्रेत हैं और इसमें जटिल और द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली द्वारा निर्दिष्ट ऐसे मामले सम्मिलित हैं, जिनमें अधिक जटिल

जांच और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की आवश्यकता है;  
और ]

[द] (न) "लोक स्वास्थ्य संस्था" से ऐसे सरकारी संगठन अभिप्रेत हैं, जो जनता को अंतरंग रोगी या बाह्य रोगी के उपचार, निदानकारी या उपचारात्मक, उपचार, नर्सिंग, पुनर्वास, प्रशामक, स्वास्थ्य लाभ, निवारक, प्रोत्साहक, चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम या अन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए संचालित या डिजाइन किया जाता है;

[(प) "उपयोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बाह्य रोगी या अंतरंग रोगी के रूप में किसी सुविधा प्रदाता से, चाहे वह कोई लोक या प्राइवेट स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन हो, कोई स्वास्थ्य परिचर्या सेवा चाहता है, पहुँच रखता है, या प्राप्त करता है।]

[ण] (प) "लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति" से किसी रुग्णता या स्वास्थ्य की दशाओं का होना या उसका आसन्न खतरा होना अभिप्रेत है,-

(क) जिनके निम्नलिखित में से किसी कारण द्वारा होने का विश्वास है:-

(i) जैव आतंकवाद,

(ii) किसी नये या पूर्व में नियंत्रित अथवा उन्मूलित संक्रामक कारक अथवा जैविक विषाक्त पदार्थ,

(iii) प्राकृतिक विभीषिका,

(iv) रासायनिक हमला या आकस्मिक निस्तार,

(v) परमाणु हमला या दुर्घटना; और

(ख) जिससे निम्नलिखित में से कोई हानि होने की प्रबल संभावना है:-

(i) प्रभावित आबादी में बड़ी संख्या में मृत्यु; या

- (ii) प्रभावित आबादी में बड़ी संख्या में गंभीर या दीर्घ-कालीन निर्योग्यता; या
- (iii) किसी संक्रामक या विषैले कारक का व्यापक फैलाव जिससे प्रभावित आबादी में लोगों की बड़ी संख्या में तात्त्विक भावी हानि के बड़े जोखिम की सम्भावना है;

(फ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं:

[द] (ब) "निवासी" से राजस्थान राज्य का साधारण निवासी अभिप्रेत है;

[थ] (भ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(म) "स्थिरीकरण" से किसी घायल व्यक्ति को ऐसी त्वरित आपात परिचर्या देना अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त चिकित्सीय अधिसंभाव्यता के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, कि ऐसे घायल व्यक्ति को एक अस्पताल से दूसरे में जहां अपेक्षित उपचार देने के लिए ऐसी समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों, स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप या उसके दौरान ऐसे घायल व्यक्ति की स्थिति में, सम्भाव्यतः कोई महत्वपूर्ण ह्रास नहीं हो:

[ध] (य) "सामाजिक संपरीक्षा" से सामाजिक आयाम का उपयोग करते हुए समुदाय द्वारा संचालित संपरीक्षा अभिप्रेत है; और

(यक) "स्थानान्तरण या परिवहन" से किसी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता या अस्पताल के निदेश पर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधा से बाहर आवाजाही (रेफरल सहित) अभिप्रेत है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसे मृत घोषित कर दिया गया हो या जो

परिचर्या करने वाले स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता या अस्पताल की अनुज्ञा के बिना ऐसी सुविधा को छोड़ता है।

**3. स्वास्थ्य का अधिकार.-** राजस्थान राज्य में प्रत्येक [व्यक्ति] निवासी को निम्नलिखित अधिकार होंगे:-

- (क) रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और परिचर्या, उपचार के प्रत्याशित परिणामों, संभावित जटिलताओं और प्रत्याशित खर्चों के बारे में पर्याप्त सुसंगत जानकारी प्राप्त करना;
- (ख) समस्त लोक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा उनके स्वास्थ्य परिचर्या स्तर के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जायें, बाह्य रोगी सेवाओं, अंतरंग रोगी सेवाओं, परामर्श, ओषधियों, निदान, आपात परिवहन, प्रक्रिया और सेवाओं, आपातकालीन परिचर्या का निःशुल्क उपभोग करना;
- (ग) अपेक्षित फीस या प्रभार के पूर्व भुगतान के बिना, किन्हीं आपात परिस्थितियों के अधीन, [अविलम्ब ऐसी परिचर्या या उपचार प्रदान करने के लिए] अपने स्वास्थ्य परिचर्या स्तर के अनुसार, यथाविहित तत्परता से या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, ऐसी परिचर्या या उपचार प्रदान करने के लिए अर्हित [प्राइवेट प्रदाता, स्थापन या सुविधा द्वारा, तत्काल] किसी लोक स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन और अभिहित स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों द्वारा, तत्परता से [और] आवश्यक आपात चिकित्सकीय उपचार और गहन परिचर्या, आपात प्रसूति उपचार और परिचर्या को सम्मिलित करते हुए, दुर्घटना जनित आपात स्थिति, सर्प दंश/जानवर के काटने के कारण आपात स्थिति और विहित की गयी आपात परिस्थितियों के अधीन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की गयी किसी अन्य

आपात स्थिति के लिए आपात उपचार और परिचर्या करवाना और यदि कोई चिकित्सा-विधिक मामला है, तो कोई स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता या स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन केवल पुलिस अनापत्ति या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त के आधारों पर उपचार में विलंब नहीं करेगा:

परन्तु रोगी की उचित आपात परिचर्या, स्थिरीकरण और उसके स्थानान्तरण के पश्चात्, यदि रोगी अपेक्षित प्रभारों का संदाय नहीं करता है तो स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता अपेक्षित फीस और प्रभार या, उचित प्रतिपूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार से विहित रीति से प्राप्त करने का हकदार होगा।

**स्पष्टीकरण.-** किसी चिकित्सा-विधिक मामले से अभिप्रेत है कोई चिकित्सकीय मामला जो या तो दीवानी या फौजदारी प्रकृति की विधिक विवक्षाएं रखता है और जिसमें दुर्घटनाएं, हमले, लैंगिक हमले, आत्महत्या, हत्या का प्रयास, विष प्रयोग, घरेलू हिंसा के कारण क्षति, रोजगार के अनुक्रम में कर्मकारों को क्षति हैं, जिनमें से कुछ में सेवा प्रदाता से प्राधिकृत पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा की गई मांगों की अनुपालना में दस्तावेज तैयार करना अपेक्षित हो सकता है, सम्मिलित हैं, किन्तु इनसे संबंधित मामलों तक ही सीमित नहीं है;

(घ) [निवासी के मामले में,] विहित रीति और नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, [किसी भी नैदानिक स्थापन से] लोक स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन और अभिहित स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों से निःशुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्राप्त करने का अधिकार;

- (ड) रोगी के अभिलेखों, जांच रिपोर्टों और उपचार के विस्तृत मदवार बिलों तक पहुंच;
- (च) उस व्यक्ति का नाम, वृत्तिक प्रास्थिति और जॉब चार्ट जानना, जो स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करवा रहा है;
- (छ) समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों से विनिर्दिष्ट जांचों या उपचार (उदाहरणार्थ शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी इत्यादि) के लिए पूर्व सूचित सहमति;
- (ज) समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर उपचार के दौरान गोपनीयता, मानव गरिमा एवं एकांतता;
- (झ) किसी पुरुष वृत्तिक द्वारा किसी महिला रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान महिला की उपस्थिति;
- (ञ) किसी भी स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का चयन करना;
- (ट) समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर बीमारी या अवस्थाओं, जिनमें एच.आई.वी. प्रास्थिति या अन्य स्वास्थ्य दशा सम्मिलित है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, आयु, यौन अभिविन्यास या उनमें से किसी के जन्म स्थान के आधार पर किसी भेदभाव के बिना उपचार प्राप्त करना;
- (ठ) उपलब्ध करवायी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए दरों या प्रभारों के बारे में सूचना प्राप्त करना;
- (ड) समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों पर औषध अभिप्राप्त करने या जांचों के स्रोत का चयन करना;
- (ढ) स्वास्थ्य की दशा के बारे में रोगी का शिक्षण;
- (ण) स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों के लिए विहित मानकों के अनुसार सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या;



- (त) समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों, चाहे लोक या प्राइवेट, द्वारा विहित रीति से रेफरल परिवहन;
- (थ) चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन छोड़ने वाले रोगी के मामले में, उपचार का सारांश प्राप्त करना;
- (द) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपभोग करने के दौरान और उसके पश्चात् उद्भूत किसी शिकायत के मामले में सुनवाई और उसका निवारण;
- (ध) [निवासियों के मामलें में,] विहित रीति से और नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा किये गये समुचित वित्तीय उपबंधों सहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपात परिचर्या, प्राथमिक उपचार या स्थिरीकरण और स्थानान्तरण किये जाने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या संस्था में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या के अनुसार समस्त स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में अपने स्तर के निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क उपचार और निःशुल्क बीमा कवर का उपभोग करना; और
- (न) किसी दूसरे स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक या स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन से द्वितीय राय लेने के लिए, उपचार करने वाले स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन से उपचार अभिलेख और सूचना अभिप्राप्त करना।

**4. उत्तरदायित्व, अधिकार और कर्तव्य.-** (1) स्वास्थ्य परिचर्या स्थापनों और स्वास्थ्य परिचर्या कर्मकारों के प्रति निवासियों और रोगियों के ऐसे उत्तरदायित्व और कर्तव्य होंगे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विहित रीति से अंगीकृत किये गये हैं और नियमों में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(2) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं और स्थापनों के अधिकार और उत्तरदायित्व, नियमों में यथा विनिर्दिष्ट विहित रीति से, रोगियों के समरूप होंगे।

[4.] **5. सरकार की बाध्यता.-** राज्य में प्रत्येक निवासी के स्वास्थ्य और कल्याण की समयबद्ध प्राप्ति के लिए संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करके, सरकार की सदैव निम्नलिखित सामान्य बाध्यताएं होंगी:-

- (क) "लोक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल" के रूप में जाना जाने वाला लोक स्वास्थ्य का मॉडल बनाना और विहित करना;
- (ख) राज्य बजट में समुचित उपबंध करना;
- (ग) स्वास्थ्य परिचर्या के समस्त स्तरों पर चिकित्सकों, नर्सों और अन्य सहायक स्वास्थ्य वृत्तिकों और कर्मकारों की उपलब्धता और साम्यापूर्ण विस्तार सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य के लिए ऐसी मानव संसाधन नीति विकसित करना और संस्थात्मक बनाना, जो विहित की जाये;
- (घ) ऐसी गुणवत्तापूर्ण संपरीक्षा और शिकायत निवारण तंत्र, जो विहित की जाएं, स्थापित करना;
- (ङ) निवारक, प्रोत्साहक और रक्षात्मक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए निवासियों को सशक्त और जागरूक बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, न कि केवल रोग को खत्म करने के लिए, समस्त स्वास्थ्य सेवाओं और स्कीमों को संरेखित करना;
- (च) स्वास्थ्य परिचर्या के समस्त स्तरों की गुणवत्ता और सुरक्षा के ऐसे मानक अधिकथित करना जो विहित किये जाएं;
- (छ) दूरी या भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार या जनसंख्या घनत्व पर विचार करते हुए सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य

परिचर्या सेवा जिनमें स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाएं, निःशुल्क औषधि, जांच और अधिसूचित मर्दों का निदान और एंबुलेंस सेवाएं सम्मिलित हैं, ऐसे मानकों के अनुसार जो विहित किये जाएं, उपलब्ध करवाना;

- (ज) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे लोक स्वास्थ्य परिचर्या [स्थापन] संस्था पर सरकार द्वारा वित्तपोषित किन्हीं स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और अभिहित लोक स्वास्थ्य परिचर्या स्थापन ऐसी गारंटीड सेवाओं की, जो विहित की जाएं, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अस्वीकृति न हो।
- (झ) इस अधिनियम के अधीन बाध्यताओं को कार्यान्वित करने के लिए संसाधन जुटाना और योजनाएं या नीतियां बनाना;
- (ञ) पोषण की दृष्टि से पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य, सुरक्षित पेयजल का पर्याप्त प्रदाय और स्वच्छता को सुकर बनाने के लिए सुसंगत सरकारी विभागों के बीच में समन्वय तंत्र स्थापित करना;
- (ट) महामारी और अन्य लोक स्वास्थ्य आपातकाल का निवारण, उपचार और नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय संस्थित करना; और
- (ठ) स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों को सूचित, शिक्षित और सशक्त करने के लिए समुचित उपाय करना।

[5.] 6. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन.- [(1)]\_सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, [के नाम से एक स्वतंत्र निकाय गठित करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-] लोजिस्टिकल शिकायत और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उपचार प्रोटोकॉल के नाम से दो स्वतंत्र निकाय गठित करेगी।

(i) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, लोजिस्टिकल शिकायत-

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, लोजिस्टिकल शिकायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-



- (क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी, जो [संयुक्त] सचिव की रैंक से नीचे का न हो = पदेन अध्यक्ष;
- (ख) [निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य] कुलपति, आर.यू.एच.एस., जयपुर = [पदेन सदस्य-सचिव];  
पदेन सदस्य;
- (ग) [आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती जो अतिरिक्त निदेशक की रैंक से नीचे का न हो] संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य = [पदेन सदस्य];  
पदेन सदस्य-सचिव;
- (घ) [संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एश्योरेन्स ऐजेंसी] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य = पदेन सदस्य;
- (ङ) [निदेशक, आयुर्वेद या उसका नाम नामनिर्देशिती जो उप-निदेशक की रैंक से नीचे का न हो] आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा = पदेन सदस्य;
- (च) [निदेशक, होम्योपैथी या उसका नाम नामनिर्देशिती जो उप-निदेशक की रैंक से नीचे का न हो] प्राचार्य, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर = पदेन सदस्य;

(छ) [निदेशक, यूनानी या उसका नाम = पदेन सदस्य;  
नामनिर्देशिती जो उप-निदेशक की  
रैंक से नीचे का न हो] निदेशक  
आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में से  
रोटेशन आधार पर, आयुष विभाग  
का नामनिर्देशिती

(ज) [राज्य सरकार द्वारा नाम = सदस्य।  
नामनिर्दिष्ट दो सदस्य जिन्हें लोक  
स्वास्थ्य/ अस्पताल प्रबंधन इत्यादि  
का ज्ञान हो] इंडियन मेडिकल  
एसोसिएशन, राजस्थान राज्य में से  
नामनिर्दिष्ट दो सदस्य

[(2) पदेन नियुक्त व्यक्तियों के सिवाय, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के  
प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी।

(3) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक  
बार बैठक करेगा।

(4) उप-धारा (1) के खण्ड (ज) में यथावर्णति सदस्यों के  
भर्तों सहित सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।]

(ii) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उपचार प्रोटोकॉल-

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उपचार प्रोटोकॉल निम्नलिखित सदस्यों से  
मिलकर बनेगा, अर्थात:-

(क) कुलपति, आर.यू.एच.एस., जयपुर = पदेन अध्यक्ष;

(ख) संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य = पदेन

सदस्य-सचिव;

(ग) प्राचार्य, एसएमएस चिकित्सा = पदेन सदस्य;

महाविद्यालय, जयपुर

- (घ) राज्य सरकार द्वारा किन्हीं अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से नामनिर्दिष्ट सदस्य - पदेन सदस्य:
- (ङ) निदेशक, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में से, रोटेशन आधार पर, आयुष विभाग का नामनिर्देशिती - पदेन सदस्य:
- (च) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान राज्य में से नामनिर्दिष्ट दो सदस्य - सदस्य।

[6.] 7. राज्य स्वास्थ्य [प्राधिकरण] प्राधिकरणों के कृत्य.- (1) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, लोजिस्टिकल शिकायत निम्नलिखित कृत्यों का कार्यान्वयन करेगा[.]-

- [(क) स्वास्थ्य के निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वासीय पहलुओं और स्वास्थ्य के व्यावसायिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों को सम्मिलित करते हुए, लोक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देना;
- (ख) राज्य स्वास्थ्य लक्ष्यों को बनाना और इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के जनादेश में सम्मिलित करवाना;
- (क) राज्य स्वास्थ्य लक्ष्यों के संबंध में सरकार को सलाह देना और इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के जनादेश में सम्मिलित करवाना;
- [ग] (ख) स्वस्थ भोजन, जल और स्वच्छता के निर्धारकों बाबत कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के अधीन

यथा उपबंधित स्वास्थ्य का अधिकार के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय रणनीतिक [योजनाएं बनाना] योजनाओं के संबंध में सरकार को सलाह देना;

- [घ] (ग) लोक स्वास्थ्य आपातकाल के निवारण, पता लगाने, शमन करने और नियंत्रण के लिए, साथ ही राज्य में प्रकोप या संभावी प्रकोप की स्थितियों के लिए एक व्यापक लिखित राज्य लोक स्वास्थ्य नीति [बनाना] के संबंध में सरकार को सलाह देना;
- [ङ] (घ) लोक स्वास्थ्य आपातकालों के प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारियों को मानीटर करना;
- [च] (ङ) समस्त स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या की अच्छी गुणवत्ता के लिए नियमित चिकित्सीय, नैदानिक और सामाजिक संपरीक्षाओं हेतु तंत्र एवं प्रणालियां विकसित करना;
- [छ] (च) उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, एक या अधिक समितियों/वैज्ञानिक पैनलों / तकनीकी पैनलों का गठन करना;
- [ज] (छ) जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध समस्त अपीलों की सुनवाई करना;
- [झ] (ज) प्राइवेट स्वास्थ्य सेक्टर द्वारा गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य एवं निदानकारी सेवाएं सुनिश्चित करना; और
- [ञ] (झ) अन्य कृत्यों का कार्यान्वयन करना, जो विहित किये जाएं।

**[7.] 8. राज्य स्वास्थ्य [प्राधिकरण] प्राधिकरणों की बैठक.- (1)**

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण वर्ष में कम से कम दो बार, उसके सदस्यों को ऐसी युक्तियुक्त अग्रिम सूचना देकर, बैठक करेगा और उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन



करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाएं:

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में किसी अत्यावश्यक प्रकृति के किसी कारबार का संव्यवहार किया जाना हो तो, वह ऐसे समय पर जो वह ठीक समझे, प्राधिकरण की बैठक बुला सकेगा।

(2) प्राधिकरण की बैठकें और ऐसी बैठकों में गणपूर्ति आदि सहित कारबार के संव्यवहार के तरीके ऐसे विनियमों द्वारा शासित होंगे जो [इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा] विहित किये जायें।

**[8.] 9. जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन.-** (1) सरकार, राज्य स्वास्थ्य [प्राधिकरण] प्राधिकरणों के गठन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में एक स्वतंत्र निकाय का गठन करेगी।

(2) जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) जिला कलक्टर - पदेन अध्यक्ष;
- (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद् - पदेन सह-अध्यक्ष;
- (ग) [उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी] चिकित्सा महाविद्यालय का प्राचार्य या उसका नामनिर्देशिती जो वरिष्ठ आचार्य से नीचे की रैंक का न हो - [पदेन सदस्य-सचिव; पदेन सदस्य;
- (घ) [जिला आयुर्वेद अधिकारी] उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - [पदेन सदस्य] पदेन सदस्य-

अधिकारी

सचिव

(ड) [अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य - पदेन सदस्य;  
अभियांत्रिकी विभाग] जिला आयुर्वेद  
अधिकारी

(च) [राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य।  
दो सदस्य जिन्हें लोक  
स्वास्थ्य/अस्पताल प्रबंधन इत्यादि  
का ज्ञान हो]

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,  
राजस्थान राज्य में से -  
नामनिर्दिष्ट दो सदस्य

[(छ) जिले की जिला परिषद् का प्रमुख] - [सदस्य:]

[(ज) चक्रानुक्रम में पंचायत समितियों के - [सदस्य।]  
तीन प्रधान, जैसाकि विहित किया  
जाये]

[(3) पदेन रूप से नियुक्त व्यक्तियों के सिवाय, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति, तीन वर्ष के लिए होगी।

(4) जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(5) उप-धारा (1) के खण्ड (च) में यथा वर्णित सदस्यों के भत्तों को सम्मिलित करते हुए सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।]

**[9.] 10. जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के कृत्य.-** जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का कार्यान्वयन करेगा:-

(क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की नीतियों, सिफारिशों और निदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

- (ख) स्वास्थ्य, विशेषतया खाद्य, जल, स्वच्छता और पर्यावरण के निर्धारकों के लिए रणनीति और कार्य की योजनाएं बनाना और उसका क्रियान्वयन करना;
- (ग) "लोक स्वास्थ्य आपातकाल" साथ ही राज्य योजना पर आधारित जिले में "प्रकोप" या "संभावित प्रकोप" की स्थितियों के निवारण, पता लगाने, शमन और नियंत्रण के लिए व्यापक लिखित योजना बनाना;
- (घ) पर्याप्त और सुरक्षित खाद्य, जल और स्वच्छता की जिले में सर्वत्र उपलब्धता और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना;
- (ङ) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुधार की दृष्टि से, अस्पताल आने वाले हिताधिकारियों की, तीन मास में एक बार सुनवाई आयोजित करना;
- (च) समुदायों को, उनकी आवश्यकताओं को व्यक्त करने, मुख्य संकेतकों की पहचान में सहायता करने और मॉनिटर करने के लिए साधनों के सृजन, इन पद्धतियों द्वारा एकत्रित डाटा को विधिमान्य करने के साथ ही फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय सह-समन्वयकों के रूप में शामिल करना;
- (छ) धारा [10] 11 के अधीन इसके द्वारा प्राप्त परिवादों का अन्वेषण और विनिश्चय करना; और
- (ज) ऐसे अन्य कृत्यों का कार्यान्वयन करना जो विहित किये जाएं।

[10.] 11. शिकायत निवारण तंत्र.- (1) सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर स्वास्थ्य परिचर्या

स्थापन, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता, और निवासी के लिए शिकायत निवारण तंत्र विहित करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विहित नियमों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

- [(क) एक विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल और सहायता केन्द्र जहां इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अधिकारों के अतिलंघन और सेवाओं की अस्वीकृति पर परिवाद किया जा सकेगा;
- (ख) वेब-पोर्टल/सहायता केन्द्र, उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों को 24 घण्टे के भीतर संबंधित अधिकारी को और उसके ठीक वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को अग्रेषित करेगा;
- (ग) संबंधित अधिकारी अगले 24 घण्टे के भीतर-भीतर परिवादी को जवाब देगा;
- (घ) यदि परिवाद का, यथा पूर्वोक्त 24 घण्टे के भीतर-भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो वह परिवाद, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को तुरन्त अग्रेषित किया जायेगा;
- (ङ) जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण परिवाद की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर-भीतर उस पर समुचित कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट वेब-पोर्टल पर अपलोड करेगा और परिवादी को भी इसकी संसूचना देगा। परिवाद की जांच करते समय जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण, परिवादी को आमंत्रित कर सकेगा और परिवाद के समाधान का प्रयास करेगा; और]
- (क) कोई भी व्यक्ति (राज्य का निवासी), जिसे स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित कोई शिकायत हो, वाद हेतुक के 15 दिवस के भीतर-भीतर समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ विहित रीति से संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या

संस्था के प्रभारी को एक लिखित शिकायत कर सकेगा;

(ख) यदि शिकायत का 3 दिवस के भीतर-भीतर संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या संस्था द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो वह शिकायत क्षेत्रीय अधिकारिता वाले जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव को अग्रेषित की जायेगी;

(ग) जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण शिकायत की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर-भीतर उस पर समुचित कार्रवाई करेगा और शिकायतकर्ता को इसकी संसूचना देगा। शिकायत की जांच करते समय जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण, शिकायतकर्ता और संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता/स्थापन के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकेगा और शिकायत के समाधान का प्रयास करेगा; और

[(च)] (घ) जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 30 दिवस के भीतर-भीतर शिकायत का समाधान नहीं किये जाने की दशा में, ऐसी शिकायत 30 दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को अग्रेषित की जायेगी।

[11.] 12. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की शक्तियां.- (1) इस अधिनियम के अधीन जांच के कार्यान्वयन के प्रयोजन से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, विहित रीति से, एक या अधिक व्यक्तियों या समितियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को, ऐसे मामलों पर, जो जांच की विषय वस्तु हो, सूचना प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा करने की शक्ति होगी

और इस प्रकार अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होगा।

[(3) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे किसी भी भवन में या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को विश्वास करने का कारण हो कि किसी जांच से संबंधित विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज ऐसे भवन या स्थान में पाया जा सकता है और ऐसे किसी दस्तावेज का अभिग्रहण कर सकेगा या उसके उद्धरणों या प्रतिलिपियों को ले सकेगा:

परन्तु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस उप-धारा के अधीन कार्य करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।]

[12.] **13. अपील.-** जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के समक्ष, आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, विहित रीति से अपील फाइल कर सकेगा।

[13.] **14. शास्तियां.-** कोई भी व्यक्ति, जो जानबूझकर इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, प्रथम उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये तक के और पश्चात्तर्वी उल्लंघनों के लिए पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने का दायी होगा।

[14. **अधिकारिता का वर्जन.-** किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन गठित जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी मामले में अवधारण करने के लिए सशक्त है।]

**15. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.-** राज्य सरकार या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य या उक्त प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त समिति के अधिकारियों या किन्हीं सदस्यों या उक्त प्राधिकरणों के निदेशों के अधीन कार्यरत अधिकारी या अन्य किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**16. विनियम बनाने की शक्ति.-** प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संगत विनियम और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

[16.]17. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

[17.]18. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

[18.]19. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति .-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंधों को बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उक्त कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

[19.]20. व्यावृत्ति.- राज्य के निवासियों के लिए किन्हीं स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं चाहे निःशुल्क या अन्यथा, उपलब्ध कराने के संबंध में बनाया गया या जारी किया गया कोई नियम, विनियम मार्गदर्शक सिद्धान्त या आदेश इस अधिनियम के अधीन बनाया गया या जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरसित, उपान्तरित या प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाये।



**Bill No. 21 of 2022**

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN RIGHT TO HEALTH BILL, 2022**

(As amended by the Select Committee)

Note:- All matters omitted by the Select Committee have been placed in square brackets and newly matters inserted have been underlined.

A

*Bill*

*to provide for right[s] to health and to make provisions ancillary, conducive and incidental thereto.*

Whereas, the State of Rajasthan aims, to provide [for] protection and fulfilment of rights and equity in health and well-being under Article 47 of Constitution of India and to secure the Right to Health as per the expanded definition of Article 21 of Constitution of India and, also to provide for free accessible to and equality in, health care for all residents of the State with the progressive reduction in out of pocket expenditure in seeking, accessing or receiving health care;

And whereas, the Rajasthan Model of Public Health may usher the State in the era of improved Public Health;

And whereas, every resident of the State of Rajasthan is entitled to enjoy the highest attainable standard of physical, mental, intellectual and social well-being and state of health, which is conducive to living a life in dignity;

And whereas, the right to health is an inclusive right extending not only to timely health care but also to the underlying socio-economic, cultural and environmental;

And whereas, to address the persisting iniquitous accessibility and denials in the matter of healthcare in the State;

And whereas, the Government of Rajasthan is committed to ensure that people's rights to health are realized. The most important stakeholders in fulfilment of right to health are the people themselves. Therefore, people's participation is crucial and critical for realization of people's right to health services;

And whereas, need to set a broad legal framework to ensure availability, accessibility, acceptability, equity and quality comprehensive health care services and functions including powers to respond to public health emergencies.

Therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Right to Health Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “accidental emergency” means any unforeseen, unexpected or unintentional occurrence of an event which results in the risk of death or injury to any person and includes road, rail, water or air accident;

(b) “bioterrorism” means the international use of any microorganism, virus, infectious substance (including toxins), or biological product that may be engineered as a result of biotechnology, or any naturally occurring

or bioengineered component of any such microorganism, virus, infectious substance, or biological product to causes, death, disease or other biological malfunction in a human, an animal, a plant, or another living organism;

- (c) “clinical establishment” means establishments defined as a clinical establishment under clause (c) of section 2 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010);
- (d) “designated health care centres” means health care centres as prescribed in the rules;
- (e) “emergency” means accidental emergency, emergency due to snake bite/animal bite and any other emergency decided by State Health Authority;
- (f) “emergency care” means any reasonable measure to render first- aid, advise or assistance to an injured person of an accident or incident of crime or any other emergency;
- (g) “emergency obstetric care” means to treat (and therefore save the life of) a woman experiencing a complication of pregnancy or childbirth;
- (h) “epidemic” means occurrence of cases of disease in excess of what is usually expected for a given period of time and includes any reference to “disease outbreak” [never the less] nevertheless specifically stated otherwise;
- (i) “first aid” means the immediate basic care given to an injured person of an accident or crash or incident of crime or any other emergency situation so as to stabilise his condition by any person including a medical professional before any decisive treatment;
- (j) “Government” means the Government of Rajasthan;

- (k) “government funded health care services” means the health care services funded and provided by the Government or those provided by the non-government entities but for which Government funds part or whole of the costs of care to some or all patients;
- (l) “health care” means testing, treatment, care, procedures and any other service or intervention towards a preventative, promotive, therapeutic, diagnostic, nursing, rehabilitative, palliative, convalescent, research and/or other health related purpose or combinations thereof, including reproductive health care and emergency medical treatment, in any system of medicines, and also included any of these as a result of participation in a medical research program;
- (m) “health care establishment” means the whole or any part of a public or private institution, facility, building or place, whether for profit or not, that is operated to provide inpatient and/or outpatient health care, and a "public health care establishment" shall accordingly refer to a health care establishment set up, run, financed or controlled by the Government [or privately owned;];
- (n) “health care provider” means a medical doctor, nurse, other paramedical professional[, social worker] or other appropriately trained and qualified person with specific skills and licensed or certified relevant to particular health care, nursing, rehabilitation, palliative, convalescent, preventative or other health services, and any reference to “service provider” shall mean the same unless specifically stated otherwise;
- [(o) “health impact assessment” means a combination of procedures, methods, and tools for identifying, predicting, evaluating, and mitigating potential effects of a proposed law, policy, program, project, technology, or a potentially damaging activity, in relation health prior to taking decisions thereon and

making commitments thereunder, on the health of the population, and other relevant effects, and the distribution of those effects within the population, and any reference to health impact assessment shall mean the same;]

- (o) “informed consent” means consent given, specific to a proposed health care without any force, undue influence, fraud, threat, mistake or misrepresentation and obtained after disclosing to the person giving consent, either for himself, or in representative capacity wherever it is necessary, all material information including costs, risks, benefits and other significant implications of, and alternatives to, the proposed health care in a language and manner understood by such person;
- (p) “outbreak” means an epidemic limited to a localized increase in the incidences of a disease;
- (q) “Panchayati Raj Institutions” means institutions of local self-government established under any of the State’s Panchayati Raj laws, at village, block, or district levels, like Gram Panchayat, Panchayat Samiti, or Zilla Parishad, or by whatever other name called, and any reference to “PRI” shall mean the same;
- (r) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (s) “public health” means the health of the population, as a whole, especially as monitored, regulated, and promoted by the Government;
- (t) “public health institution” means governmental organizations that is operated or designed to provide in-patient or out-patient treatment, diagnostic or therapeutic, interventions, nursing, rehabilitative, palliative, convalescent, preventative, promotive, medical research program or other health services to public;

- (u) “public health emergency” means an occurrence or imminent threat of illness or health conditions that-
- (a) is believed to be caused by any of the following:-
- (i) bioterrorism,
  - (ii) the appearance of a novel or previously controlled or eradicated infectious agent or biological toxin,
  - (iii) a natural disaster,
  - (iv) a chemical attack or accidental release,
  - (v) a nuclear attack or accident; and
- (b) poses a high probability of any of the following harms:-
- (i) a large number of deaths in the affected population; or
  - (ii) a large number of serious or long-term disabilities in the affected population; or
  - (iii) widespread exposure to an infectious or toxic agent that poses a significant risk of substantial future harm to a large number of people in the affected population;
- (v) “regulations” means the regulations made by the Authorities under this Act;
- (w) “resident” means an ordinary resident of the State of Rajasthan;
- (x) “rules” means rules made under this Act;
- (y) “stabilise” means the rendering of any immediate emergency care of the injured person as may be necessary to assure within reasonable medical probability, that no material deterioration of the condition of such injured person is likely to result from or occurred during the transfer of such injured person from one hospital to another, where such appropriate facilities are available to render the requisite treatment;

- (z) “social audit” means the audit conducted by the community using the social dimension; and
- (za) “transfer or transport” means the movement (including the referral) of an individual outside a hospital’s facilities at the direction of any designated health care provider or hospital but does not include an individual who has been declared dead or leaves the facility without the permission of the health care provider attending him.

**3. Rights to health.-** Every [person] resident in the State of Rajasthan shall have the following rights:-

- (a) to have adequate relevant information about the nature, cause of illness, proposed investigations and care, expected results of treatment, possible complications and expected costs;
- (b) to avail free OPD services, IPD services consultation, drugs, diagnostics, emergency transport, procedure, and emergency care as provided by all public health institutions accordantly to their level of health care as may be prescribed by rules made under this Act;
- (c) to have emergency treatment and care for [under any emergent] accidental emergency, emergency due to snake bite/animal bite and any other emergency decided by State Health Authority under prescribed emergency circumstances, without prepayment of requisite fee or charges including prompt and necessary emergency medical treatment and critical care, emergency obstetric treatment and care, by any [health care provider, establishment or facility, including private provider, establishment or facility,] public health institution, health care establishment and designated health care centres, qualified to provide such care or treatment [without delay] accordantly to their level of health care, promptly as prescribed or as per guidelines and in a case of medico-legal nature of case, no health care

provider or health care establishment shall delay treatment merely on the grounds of receiving police clearance or a police report:

Provided that after proper emergency care, stabilisation and transfer of patient, if patient does not pay requisite charges, healthcare provider shall be entitled to receive requisite fee and charges or proper reimbursement from State Government in prescribed manner as the case may be.

**Explanation.-** A medico-legal case means any medical case which has legal implications, either of a civil or criminal nature, and includes but is not limited to cases relating to accidents, assault, sexual assault, suicide, attempt to murder, poisoning, injuries on account of domestic violence, injuries to workers during course of employment, in some of which the service provider may be required to prepare documents in compliance with demands by an authorised police-officer or Magistrate;

- (d) [in case of a resident,] to have the right to avail free health care services from [any clinical establishment] public health institution, health care establishment and designated health care centres in the prescribed manner and subject to terms and conditions specified in the rules;
- (e) to have access to patient records, investigation reports and detailed itemized bills of treatment;
- (f) to know the name, professional status and job chart of the person who is providing health care;
- (g) to informed consent prior to specific tests or treatment (e.g. surgery, chemotherapy etc.) from all health care establishments;



- (h) to confidentiality human dignity and privacy during treatment at all health care establishments;
- (i) to the presence of female person, during physical examination of a female patients by a male practitioner;
- (j) to choose alternative treatment available at any health care establishments;
- (k) to have treatment without any discrimination based upon illness or conditions, including HIV status or other health condition, religion, race, caste, sex, age, sexual orientation or place of birth of any of them at all health care establishments;
- (l) to have information about the rates or charges for each type of service provided and facilities available;
- (m) to choose source of obtaining medicines or tests at all health care establishments;
- (n) to patient's education about health condition;
- (o) to safe and quality care according to standards prescribed for the health care establishments;
- (p) to referral transport by all health care establishments, whether public or private, in the prescribed manner;
- (q) to have treatment summary in case of a patient leaving health care establishment against the medical advice;
- (r) to be heard and seek redressal in case of any grievance occurred during and after availing health care services;
- (s) [in case of residents,] to avail free transportation, free treatment and free insurance coverage against road accidents at all health care establishments accordantly to their level of health care available in the health care institution for emergency care, first aid or stabilize and transfer as per guidelines with appropriate

financial provisions by State Government in the prescribed manner and subject to the terms and conditions specified in the rules; and

- (t) to obtain treatment records and information from the treating health care establishments to seek second opinion from another health care professional or health care establishment.

**4. Responsibilities, Rights and Duties.-** (1) Residents and patients shall have the responsibilities and duties towards healthcare establishments and healthcare workers as adopted by the National Human Rights Commission in the prescribed manner and as specified in the rules.

(2) Health care providers and establishments will have rights and responsibilities vis-à-vis patients in the prescribed manner as specified in the rules.

**[4.15. Obligation of Government.-** The Government shall have the following general obligations, [at all times] by enhancing the quantum of the resources in time bound realization of health and well-being of every resident in the State:-

- (a) to formulate and prescribe a model of public health known as “Rajasthan Model of Public Health”;
- (b) to make appropriate provision in the State budget;
- (c) to develop and institutionalize Human Resource Policy for Health to ensure availability and equitable distribution of doctors, nurses and other ancillary health professionals and workers at all levels of healthcare as may be prescribed;
- (d) to set up the quality audit and grievance redressal mechanisms as may be prescribed;
- (e) to align all health services and schemes to strengthen a system of health services to empower and make residents aware for preventive, promotive and

protective health care, not merely an absence of disease;

- (f) to lay down standards for quality and safety of all levels of health care as may be prescribed;
- (g) to make availability of Government funded healthcare services as per distance or geographical area or considering population density which includes health care institutions, free medicine, test and diagnostics of notified items and ambulance services as per standards as may be prescribed;
- (h) to ensure that there is no any direct or indirect denial to anyone for any government funded health care services at such Public Health Care Institutions and designated health care establishment and such guaranteed services as may be prescribed;
- (i) to mobilize resources and frame plans or policies to carry out obligations under this Act;
- (j) to set up co-ordination mechanisms among the relevant government departments to facilitate nutritionally adequate and safe food, adequate supply of safe drinking water and sanitation;
- (k) to institute effective measures to prevent, treat and control epidemics and other public health emergencies; and
- (l) to take appropriate measures to inform, educate and empower people about health issues.

**[5.] 6. Constitution of State Health Authority.- [(1)]**

The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute [an] two independent [body] bodies known as the State Health Authority for logistical grievances [consisting of the

following members, namely:-] and State Health Authority for treatment protocols.

**(i) State Health Authority for logistical grievances-**

State Health Authority for logistical grievances consisting of the following members, namely:-

- (a) An Officer of Indian Administrative Service, not below the rank of [Joint] Secretary to be appointed by the State Government - Ex-officio Chairperson;
- (b) [Director, Medical and Health] Vice- Chancellor of RUHS, Jaipur - [Ex-officio Member-Secretary;] Ex-officio Member;
- (c) [Commissioner, Medical Education or his nominee not below the rank of Additional Director] Joint Secretary, Medical and Health - [Ex-Officio Member;] Ex-officio Member-Secretary;
- (d) [Joint Chief Executive Officer, Rajasthan State Health Assurance Agency] Director, Medical and Health - Ex-Officio Member;
- (e) [Director, Ayurveda or his nominee not below the rank of Deputy Director] Commissioner, Medical Education - Ex-Officio Member;
- (f) [Director, Homoeopathy or his nominee not below the rank of Deputy Director] Principal, SMS Medical College, Jaipur - Ex-Officio Member;

- (g) [Director, Unani or his nominee not below the rank of Deputy Director] A nominee of Ayush Department from Director Ayurveda, Homoeopathy, Unani on rotation basis - Ex-Officio Member;
- (h) Two Members, nominated [by State Government, having knowledge of Public Health/Hospital Management, etc.] from Indian Medical Association Rajasthan State - Member.

[ (2) The appointment of each member of the State Health Authority, except the ex-officio appointees, shall be for three years.

(3) The State Health Authority shall meet at least once in six months.

(4) The terms and conditions of services including allowances of members as mentioned in clause (h) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed.]

**(ii) State Health Authority for Treatment Protocol-**

State Health Authority for Treatment Protocol consisting of the following members, namely:-

- |     |   |   |                          |
|-----|---|---|--------------------------|
| (a) | <u>Vice Chancellor of RUHS, Jaipur</u>        | = | <u>Ex-officio</u>        |
|     |   | = | <u>Chairperson;</u>      |
| (b) | <u>Joint Secretary, Medical and Health</u>    |   | <u>Ex-officio</u>        |
|     |   |   | <u>Member-Secretary;</u> |
| (c) | <u>Principal, SMS Medical College, Jaipur</u> | = | <u>Ex-officio</u>        |
|     |   | = | <u>Member;</u>           |

- |     |   |        |                           |
|-----|---|--------|---------------------------|
| (d) | <u>Member nominated by State Government from Principals of any other Medical Colleges</u>         | -<br>- | <u>Ex-officio Member;</u> |
| (e) | <u>A nominee of AYUSH Department from Director Ayurveda, Homoeopathy, Unani on rotation basis</u> | -<br>- | <u>Ex-officio Member;</u> |
| (f) | <u>Two Members, nominated from Indian Medical Association Rajasthan State</u>                     | -<br>- | <u>Member.</u>            |

**[6.] 7. Functions of the State Health [Authority] Authorities.-** (1) The State Health Authority for logistical grievances shall carry out the following functions[.-]:-

- (a) to advise [the] Government regarding [on any matter concerning public health, including preventive, promotive, curative, and rehabilitative aspects of health and occupational, environmental, and socio-economic determinants of health;]
- [(b) to formulate] State health goals and get these included in the mandate of Panchayati Raj Institutions and urban local bodies;
- [(c) (b) to [formulate] advise Government regarding state level strategic plans for implementation of Right to Health as provided under this Act, including action on the determinants of healthy food, water and sanitation;
- [(d) (c) to [formulate] advise Government regarding a comprehensive written State Public Health Policy for prevention, tracking, mitigation, and control of a public health emergency as well as situations of outbreak or potential outbreak in the State;

- [(e)] (d) to monitor the preparedness of the State for management of public health emergencies;
- [(f)] (e) to develop mechanisms and systems for regular medical, clinical, and social audits for good quality of health care at all levels;
- [(g)] (f) to constitute one or more committees/scientific panels/technical panels for the efficient discharge of its functions as and when required;
- [(h)] (g) to hear all appeal against decision of District Health Authority related to logistical grievances;
- [(i)] (h) to ensure quality and cost effective health and diagnostic services by [private] health sector; and
- [(j)] (i) to carry out other functions as may be prescribed.

(2) The State Health Authority for Treatment Protocol shall carry out the following functions:-

- (a) to advise the Government on any matter concerning public health, including preventive, promotive, curative, and rehabilitative aspects of health and occupational, environmental, and socio-economic determinants of health;
- (b) to develop mechanisms and systems for regular medical, clinical, and social audits for good quality of health care at all levels;
- (c) to constitute one or more committees/scientific panels/technical panels for the efficient discharge of its functions as and when required;
- (d) to hear all appeal against decision of District Health Authority for Treatment Protocol;

(e) to ensure quality and cost effective health and diagnostic services by health sector; and

(f) to carry out other functions as may be prescribed.

**[7.] 8. Meeting of State Health [Authority] Authorities .-**

(1) The State Health Authority shall meet at least once in six months, by giving such reasonable advance notice to its members and shall observe such rules of procedure regarding the transaction of business at its meetings as may be prescribed by rules made under this Act:

Provided that if, in the opinion of the Chairperson, any business of an urgent nature is to be transacted, he may convene a meeting of the Authority at such time as he thinks fit.

(2) The meetings of the Authority and the mode of transaction of business at such meetings, including quorum etc., shall be governed by such regulations as may be prescribed [rules made under this Act].

**[8] 9. Constitution of District Health Authority.-** (1) The Government shall constitute an independent body as District Health Authority, within one month from the date of constitution of State Health [Authority] Authorities.

(2) The District Health Authority shall consist of the following members, namely:-

(a)	The District Collector	-	Ex-Officio Chairperson;
(b)	Chief Executive Officer, Zila Parishad (IAS/RAS)	-	Ex-Officio Co-Chairperson;
(c)	[Deputy Chief Medical and Health Officer] Principal of Medical college		[Ex-Officio Member –



	or his nominee not below the rank of <u>Sr. Professor</u>		Secretary;] <u>Ex-Officio Member;</u>
(d)	[District Ayurveda Officer] <u>Deputy Chief Medical and Health Officer</u>	-	Ex-Officio Member- <u>Secretary;</u>
(e)	[Superintending Engineer, Public Health Engineering Department] <u>District Ayurveda Officer</u>	-	Ex-Officio Member;
(f)	[Two Members, nominated by State Government, having knowledge of Public Health/Hospital Management, etc.] <u>Two Members, nominated from Indian Medical Association, Rajasthan State</u>	-	Member.
[g	Pramukh, Zila Parishad of the District]	-	[Member;]
[(h)	Three Pradhans of the Panchayat Samitis in rotation, as may be prescribed]	-	[Members.]

[ (3) The appointment of each member of the District Health Authority, except the ex-officio appointees, shall be for three years.

(4) The District Health Authority shall meet at least once in a month.

(5) The terms and conditions of services including allowances of members as mentioned in clause (f) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed. ]

**[9.] 10. Functions of District Health Authority.-** The District Health Authority shall carry out the following functions:-

- (a) to ensure implementation of the policies, recommendations, and directions of State Health Authority;
- (b) to formulate and implement strategies and plans of action for the determinants of health, especially food, water, sanitation, and environment;
- (c) to formulate a comprehensive written plan for prevention, tracking, mitigation, and control of a “public health emergency”, as well as situations of “outbreak” or “potential outbreak” in the district based on State Plan;
- (d) to coordinate with the relevant government departments and agencies to ensure availability and access to adequate and safe food, water and sanitation throughout the district;
- (e) to organize hearing of the beneficiaries coming to the hospital once in three months with a view to improve the health care services;
- (f) to involve the communities as active co-facilitators articulating their needs, helping in identification of key indicators and creation of tools for monitoring, providing feedback as well as validating the data collected by these methods;
- (g) to investigate and decide the complaints received by it under section [10] 11; and
- (h) to carry out such other functions as may be prescribed.

[10.] **11. Grievances Redressal Mechanism.**- (1) The Government shall prescribe Grievances Redressal Mechanism for health care establishment, health care provider and residents, within six months from the date of commencement of this Act.

(2) The rules prescribed under sub-section (1) shall include the following, namely:-

- (a) a specified web-portal and helpline centre where complaint may be made on denial of services and infringement of rights provided under this Act;
- (b) the web-portal/helpline centre shall forward the grievances received to the concerned officer and his/her immediate supervisors within 24 hours;
- (c) the concerned officer shall respond to the complainant within next 24 hours;
- (d) if the complaint is not resolved by concerned officer within 24 hours as aforesaid the complaint shall be forwarded to District Health Authority immediately;
- (e) the District Health Authority shall take appropriate action on the complaint within 30 days of its receipt and upload the action taken report on the web portal and also communicate the same to the complainant. While enquiring into the complaint the District Health Authority may invite the complainant and try to resolve the complaint; and]

(a) any person (resident of the state) having any grievance relating to the Right to Health may make a written complaint to the In-charge of the concerned Health Care Institution in prescribed manner with all relevant documents within 15 days of cause of action.

(b) if the complaint is not resolved by concerned Health Care Institution within 3 Days , the

complaint shall be forwarded to Member Secretary of District Health Authority within territorial jurisdiction.

(c) the District Health Authority shall take appropriate action on the complaint within 30 days of its receipt and communicate the same to the complainant. While enquiring into the complaint the District Health Authority may invite the complainant and representative of concerned health care provider/establishment and try to resolve the complaint; and

[(f)] (d) in case the grievance is not resolved within 30 days by the District Health Authority, the complaint shall be forwarded to the State Health Authority immediately after the expiry of the aforesaid period of 30 days.

**[11.] 12. Powers of the State Health Authority and District Health Authority.-** (1) For purposes of carrying out the inquiry under this Act, the State Health Authority or District Health Authority, as the case may be, may nominate one or more persons or committees from the subject speciality, in the prescribed manner, for the efficient discharge of its functions.

(2) The State Health Authority or District Health Authority, as the case may be, shall have the power to require any person to furnish information on such matters as may be the subject matter of the inquiry and any person so required shall be legally bound to furnish such information.

[(3) The State Health Authority or District Health Authority, as the case may be, or any other officer authorized in this behalf by the State Health Authority or District Health Authority, as the case may be, enter in any building or place where the State Health Authority or District Health Authority, as the case may be, has reason to believe that any document relating to the subject matter of an inquiry may be found in such building or place

and may seize any such document or take extracts or copies thereof:

Provided that the State Health Authority, District Health Authority or any officers authorized by it, as the case may be, shall follow the provisions of section 100 of the code of Criminal Procedure, 1973 while acting under this sub-section.]

[12.] **13. Appeal.**-Any person aggrieved by an order of the District Health Authority passed under the provisions of this Act may file an appeal in the prescribed manner to the State Health Authority within 30 days from the date of the order.

[13.] **14. Penalties.**-Any person who knowingly contravenes any provision of this Act or any Rule made thereunder shall be punishable with a fine up-to rupees ten thousand for the first contravention, and up-to rupees twenty-five thousand for the subsequent contraventions.

[14. **Bar of Jurisdiction.**-No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the State Health Authority or District Health Authority, as the case may be, constituted under this Act is empowered by or under this Act to determine. ]

**15. Protection of action taken in good faith.**-No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Chairpersons or members of the State Health Authority and District Health Authority or any members or officers of the committee appointed by the said authorities or any other employee or officer acting under the direction of the said Authorities, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rule made thereunder.

**16. Power to make regulations.**- The Authorities may, with the previous approval of the Government, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules for carrying out the purposes of this Act.

**[16.] 17. Power of State Government to make rules.-** (1)

The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or resolves that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.


**[17.] 18. Application of other laws not barred.-**The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

**[18.] 19. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.


(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

**[19.] 20. Saving.-** Any rules, regulations, guidelines or orders made or issued in respect of providing any health care facilities, whether free or otherwise, to the residents of the State shall be deemed to have been made or issued under this Act and shall remain in force until they are repealed, modified or replaced in exercise of the powers conferred under this Act.



(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर  
2023



स्वास्थ्य के अधिकार का उपबंध करने के लिए और उससे प्रासंगिक, सहायक तथा आनुषंगिक उपबंध करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया)



महावीर प्रसाद शर्मा,  
प्रमुख सचिव।  
**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**



*to provide for rights to health and to make provisions ancillary,  
conducive and incidental thereto.*

---

**(As amended by the Select Committee)**

Mahaveer Prasad Sharma,  
**Principal Secretary.**



**LINKING LAWS**

